फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी | **अप्रार्थीगण**

यक्षितराजसिंह पुत्र पवनसिंह **बनाम** जगदीश प्रसाद पुत्र हनुमानराम कुमावत

निवासी–बीकानेर तहसील–बीकानेर | निवासी–बड़ला का बास, कुचामनसिटी

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र | संख्या : 38 /2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10.03.2026	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय रिपोर्ट ली गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं से एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी. सम्मन पेश करे। मिसल दिनांक **30.04.2026** को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
30/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बधारे है पत्रावली दिनांक 15/5/26 को पेश हो।	
15/5/26	वकील प्रार्थी अनुसार आवाजें लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकार। अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। अतः बावजूद सूचना व आवाजें लगाने पर भी पक्षकार अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने पर प्रार्थना पत्र U/s 212 R.T. Act अदम हाजिरी + अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल बाद नम्बर तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	